राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(212)नविवि/2011 पार्ट जयपुर, दिनांक :- 30 SEP 2020

आदेश

कॉविड–19 के मध्यनजर इस विभाग के आदेश क्रमांक प0 17(10)नविवि/II/2019 दिनांक 01.05.2020 द्वारा नीलामी के भूखण्डो में 35 प्रतिशत राशि 120 दिवस के स्थान पर 240 दिवस में एमव 50 प्रतिशत राशि 180 के स्थान पर 360 दिवस में जमा कराने के आदेश जारी किये गये थे। दिनांक 15.03.2020 से पूर्व नीलामी के भूखण्डों में 35 प्रतिशत व 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की समय–सीमा मांग–पत्र के अनुसार दिनांक 15.03.2020 के पश्चात् होने पर 35 प्रतिशत व 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30.09.2020 तक जमा कराने के आदेश क्रमांक प0 17(10)नविवि/II/2019 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा जारी किये गये है।

नीलामी के प्रकरणों को छोडकर शेष सभी प्रकार के प्रकरण जिन में मांग–पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा दिनांक 15.03.2020 के पश्चात् की है। उनमें दिनांक 31.03.2021 तक राशि जमा कराने की छूट विभागीय आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 पार्ट दिनांक 23.09.2020 के द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

दिनांक 01.05.2020 के बाद नीलामी के भूखण्डों में 240 दिन व 360 दिन में राशि जमा कराने की छूट एवम दिनांक 15.03.2020 से पूर्व व दिनांक 01.05.2020 के पश्चात् के दोनो प्रकार के प्रकरणों में समान रखते हुए सक्षम स्तर पर दिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 15.03.2020 से पूर्व नीलामी के भूखण्डों में 35 प्रतिशत राशि दिनांक 31.12.2020 तक एवम 50 प्रतिशत राशि दिनांक 31.03.2021 तक जमा कराने की छूट प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत होगा किन्तु पूर्व मे निस्तारित प्रकरणो को पुनः नही खोला जावेगा व जमा राशि पुनः नही लौटाई जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

-Sd-

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव